


14.06.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही
नहीं की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व मे कई
अवसर दिये जा चुके है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता
को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असागतन/वकालतन उपस्थित नहीं
आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं
आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम
हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ